उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की दिनाँक 03 जनवरी1999 को सम्पन्न हुई 1998 की 168वीं
की कार्यवृत्त

दिनाँक 03.1.99 को बैठक प्रारम्भ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1.	श्री महेश दत्त शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री सुनील कुमार, विशेष सचिव (वित्त) प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3.	श्री मुकुल जोशी, उप निदेशक प्रतिनिधि: प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4.	श्री राम वृक्ष प्रसाद, संयुक्त सचिव (आवास) प्रतिनिधि : सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5.	श्री आर0के0मित्तल, आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
6.	श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक, जलनिगम	सदस्य
7.	श्री के0एम0सिंह, नगर नियोजक प्रतिनिधि: मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक उ0प्र0।	सदस्य
8.	श्री एस0डेविड सुन्दर सिंह प्रतिनिधि: निदेशक, सी0बी0आर0आई0 रूड़की।	सदस्य
9.	श्री एस0के0वर्मा, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

विशेष आमन्त्री केरूप में:-

1.	श्री ए0के0 पचौरी, मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
2.	श्री बी0एन0उपाध्याय, वित्त नियन्त्रक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य,
3.	श्री एस0सी0दीक्षित, विधि परामर्शदाता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत निर्णय लिये गये:-

मद संख्या	विषय	निर्णय
1	2	3
1.	परिषद की 167वीं बैठक दिनाँक 5.11.97 की कार्यवृत्ति की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।

1	2	3
3.	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची।	अवलोकित किया गया।
4.	एकलव्य विहार सहकारी आवास लि0 गाजियाबाद के सदस्यों हेतु वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में।	अवलोकित किया गया।
5.	परिषद में अधीक्षण अभियन्ता के रिक्त पदों को प्रोन्नति से भरे जाने के सम्बन्ध में।	अवलोकित किया गया।
6.	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के कार्यकलापों की माह नवम्बर-1997 तक की अध्यावधिक प्रगति रिपोर्ट।	अवलोकित किया गया।
7.	बेतियाहाता(दक्षिणी)भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गोरखपुर में 1.90एकड अर्जन से मुक्त की गयी भूमि की शर्तो में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	यह निर्देश दिया गया कि यदि शेष 10 लोगो के पक्ष में छोडी गयी भूमि पर अधिकांश लोगो ने भवन बना लिया है तो ~~अत~~ तदनुसार आवास आयुक्त को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया।
8.	परिषद की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1,रामपुर में समाविष्ट उ0प्र0राज्य चीनी निगम की खसरा संख्या-41/1 व 41/2 की 1.94 एकड भूमि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार परिषद द्वारा डी-नोटीफिकेशन कराये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। शासन को डी-नोटीफिकेसन हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया।
9.	श्री लाल सिंह चतुर्थ श्रेणी परिषद कर्मचारी को परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में प्रदिष्ट दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या 19/588 के विरुद्ध देय दिण्ड ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में।	3 1/2 प्रतिशत दण्ड ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया।
10.	बुद्ध विहार योजना मझोला मुरादाबाद में श्रीमती कलावती को प्रदिष्ट दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या 2/685 के विरुद्ध देय दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
11.	परिषद की लोहियापुरम योजना फतेहगढ में श्री सोने लाल यादव को आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 1/46 के विरुद्ध दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
12.	परिषद की कटरा योजना बस्ती में श्रीमती शिवरत्ना शुक्ला को प्रदिष्ट मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-188 पर देय ब्याज के सम्बन्ध में।	केवल दण्ड ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया।
13.	श्री आर0के0सिंह,सहायक श्रेणी-द्वितीय कर्मी को इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में स्थित दो मंजिले भवनों के अन्तर्गत भवन संख्या 501/सी(भूतल) आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया किया।
14.	परिषद की योजनाओं में उपलब्ध सर्विस भूखण्डों के भुगतान प्रक्रिया के सम्बन्ध में।	केवल अलोकप्रिय योजना के गुण-अवगुण के आधार पर आवास आयुक्त को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया।

1	2	3
15.	शास्त्रीनगर योजना संख्या-7मेरठ स्थित उच्च आय वर्ग भवन संख्या 37/1,की नीलामी के सम्बन्ध में।	अध्यावधिक ब्याज के साथ पुनरीक्षित करते हुए उच्च आय वर्ग भवन संख्या 37/1,जिला सहकारी बैंक मेरठ को देने का निर्णय लिया गया।
16.	विकल्प परिवर्तन शुल्क माफी के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
17.	राजाजीपुरम योजना लखनऊ में स्थित स्टाफ क्वाटर के लिये आरक्षित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या सी-1557,पंजीकरण संख्या एल0डब्लू0/एम0-4314४8४के विरुद्ध आवंटन के सम्बन्ध में।	श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव को उनके प्रश्नगत भवन में रहने के समय की अवधि का नियमानुसार किराया तथा ब्याज आदि की गणना करके उन्हें भवन का मूल्य आफर करके सहमति प्राप्त कर पुनःपरिषद की बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।
18.	स्व0श्रीरामेश्वर प्रसाद आशुलिपिक की पत्नी श्रीमती कुसुमा रानीको राजाजीपुरम योजना में आवंटित अल्प आय वर्ग भवन संख्या 11/182 के विरुद्ध देय धनराशि की 50प्रतिशत धनराशि समयुक्त करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
19.	परिषद की योजना संख्या-7 शास्त्रीनगर मेरठ स्थित भूखण्ड संख्या684/6 से भूखण्ड संख्या 188/7 में परिवर्तन किये जाने तथा आरोपित दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में।	प्रकरण का परीक्षण करके निर्णय लेने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
20.	परिषद की टैगोर नगर योजना पीलीभीत में दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या ए-101 के आवंटन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
21.	परिषद की योजना संख्या-2 बरेली स्थित भूखण्ड संख्या ए-809 के निर्माण हेतु समयवृद्धि के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
22.	परिषद की भगीरथ योजना बिजनौर स्थित अल्प आय वर्ग स्टाफ क्वाटर संख्या 472 के तत्काल श्रेणी में आवंटन के सम्बन्ध में।	अवलोकित किया गया।
23.	परिषद की संजय विहार योजना ,हापुण स्थित भूखण्ड संख्या ए-76 के विरुद्ध आरोपित अनिर्माण शुल्क रू0 15,300=00के सम्बन्ध में।	अनिर्माण शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया।
24.	परिषद की कार्य प्रणाली को जनोन्मुखी बनाने हेतु परिषद "आवास संदेश" नामक त्रैमासिक पत्र के सम्पादन एवं प्रकाशन के सम्बन्ध में।	अवलोकित किया गया।
25.	वढ़पुर योजना संख्या-1 फतेहगढ़ में प्रस्तावित 72 नग मध्यम आय वर्ग 63/162 सेमीफिनिश्ड प्रकार के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
26.	सुहाग नगर योजना संख्या-1 फिरोजाबाद के विकास कार्यो कोपुनरीक्षित एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।

---4

1	2	3
27.	खण्डों में सृजित 39 पदों की सीमा में कार्यरत कर्मचारियों को कार्यप्रभारित की संज्ञा न दी जाय एवं उनके उनके वेतन का आहरण परिषद के अन्य कर्मियों की भाँति की जाय।	अस्वीकृत किया गया।
28.	आशुलिपिक ग्रेड-2,वेतनमान रू0 1400-2600 से प्रोन्नति के फलस्वरूप निजी सचिव का वेतनमान रू0 2000-3500 दिये जाने के सम्बन्ध में।	2000-3200 का वेतनमान अनुमोदित परन्तु प्रकरण को शासन को संदर्भित करने के निर्देश दिये गये।
29.	श्री मोहम्मबद मुशाहिद अवर वर्ग सहायक वेतनमान 1350-2200 विधान सभा सचिवालय को परिषद में प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
30.	श्री वकीलुर्रहमान,अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड-33 अलीगढ़ को चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
31.	सतर्कता कोष्ठ के आदेश दिनाँक 23.10.96 द्वारा आरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री एस0एस0एच0जाफरी ,सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी की रिपोर्ट।	अस्वीकृत किया गया।
32.	वेतनमान की अधिकतम सीमा रू02900=00 तक प्राप्त वाले परिषद कर्मियों को अनुग्रह धनराशि भुगतान के सम्बन्ध में।	सार्वजनिक उद्यम विभाग के निर्णय की प्रतीक्षा की जाय।
33.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित। शासन को संदर्भित किया जाय।
34.	परिषद हेतु पुनरीक्षित आय-व्यय (बजट) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पुनरीक्षित आय -व्यय पर पुर्नविचार करके मान0 अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
35.	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-9 में 62/113 प्रकार के भवनों के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
36.	सेक्टर-25 इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में लगभग 8.00एकड़ भूमि पर स्वर्ण जयन्ती स्मृति विहार मनोरंजन केन्द्र में फिटनेस पार्क एवं एक्वास्पोर्ट्स काम्पलैक्स की डिजाइन हेतु निजी वास्तुविद की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्वीकृत। आर्कीटेक्ट फीस संहत रूप से 1.50 लाख होगा।
37.	परिषद योजनाओं में आवंटित सम्पत्तियों में पूर्व निर्धारित उपयोग के परिवर्तन के सम्बन्ध में।	शासनादेश के अनुरूप ही प्रत्येक प्रकरण में निर्णय लेने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।

1	2	3
38.	स्वयं वित्त पोषित योजना-91बी./ 93बी. के श्रेणी 114/138 डुप्लेक्स सेक्टर-21 इन्दिरा नगर लखनऊ के विरुद्ध जमा पंजीकरण धनराशि वापसी के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
39.	स्वयं वित्त पोषित योजना 1988 जागृति विहार योजना संख्या-6 मेरठ के अन्तर्गत आवंटित भवन संख्या - 533/5 के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
40.	योजना संख्या-1 कानपुर से सम्बन्धित श्रीमती पुष्पा शुक्ला, श्रीमती विमला बाजपेयी एवं श्रीरामदत्त मिश्रा के प्रकरण में परिषद की 166वीं बैठक दिनांक 28.6.97 मद संख्या-51 में लिये गये निर्णय के अनुपालन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
41.	परिषद की विकास नगर योजना लखनऊ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 2सी-78 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अस्वीकृत किया गया।
42.	उ0प्र0जल निगम, देहरादून के विरुद्ध अवशेष ब्याज की धनराशि के सम्बन्ध में।	उ0प्र0जल निगम पर आरोपित विलम्ब अवधि का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया।
43.	लखनऊ मे परिषद की इन्दिरा नगर योजना में भवन संख्या ए-60 को गेस्ट हाउस से अनारक्षित करते हुए आवंटित किया जाना।	अनुमोदित किया गया।
44.	कानपुर, आगराएवं मेरठ में परिषद को अलोकप्रिय योजनाओं के अवशेष दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग भवनों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	अवलोकित किया गया।
45.	आक्सफोर्ड कान्वेन्ट के पक्ष में इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ के अन्तर्गत सेक्टर-12 में स्थित प्राइमरी स्कूल भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
46.	परिषद की शास्त्रीनगर योजना संख्या-3 मेरठ स्थित शिक्षण संस्था सरस्वती शिशु मन्दिर को प्रदिष्ट स्कूल भूखण्ड के विरुद्ध आरोपित ब्याज के सम्बन्ध में।	इस शर्त के साथ अनुमोदित कि प्रस्ताव के अनुसार किश्तें बनाये जाने पर किश्तों के डिफाल्ट होने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा।
47.	परिषद मुख्यालय के कार्यालय भवन के विस्तार के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।

1	2	3
48.	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत परिषद द्वारा लगभग 450.00एकड़ भूमि प्राप्त करके लखनऊविकास प्राधिकरण के सहयोग से आवासीय योजना संचालित करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
49.	विदेश संचार निगम लिमि0 को परिषद की नेहरू नगर योजना संख्या-1 देहरादून में दी गयी भूमि एवं उस पर सम्पादित कराये गये डिपाजिट कार्यो का हस्तानान्तरण तथा बकाया धनराशि का भुगतान।	अनुमोदित किया गया।
50.	मुख्य सहायक/विधि निरीक्षक/सम्पत्ति निरीक्षक/स्वागत अधिकारी/लेखाकार एवं आशुलिपिक ग्रेड-2 के वेतनमान को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि वेतन आयोग के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
51.	स्व0श्री पी0दयाल, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता को परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ में आवंटित भवन संख्या एफ-3414/2 के विरुद्ध स्वीकृत भवन अग्रिम माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
52.	परिषद के अभियन्ता अधिकारियों को प्रदेश के अन्य शासकीय अभियन्त्रण विभागों के समान समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।	सिद्धान्त रूप से सहमत। शासन ~~[illegible]~~ एवं पे कमीशन को तदनुसार आख्या भेजी जाय।
53.	जनता ऋण योजना की वसूली के सम्बन्ध में।	उपयुक्त निर्णय हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया। ~~अनुमोदित किया गया।~~
54.	जनता ऋण योजना के अन्तर्गत परिषद कर्मियों को दिये गये ऋण पर लगाये गये दण्ड ब्याज की माफी के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
55.	केन्द्रीय पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के सम्बन्ध में उ0प्र0शासन द्वारा गठित वेतन समिति को परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमानों को पुनरीक्षण हेतु सूचना भेजने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
56.	डायमण्ड डेरी योजना लखनऊ स्थित प्लेट संख्या-145 के साथ आवंटित अतिरिक्त भूमि पर किये गये अनाधिकृत निर्माण की कम्पाउण्डिंग।	प्रस्तावित [illegible] शुल्क को 50% [illegible] अनुमोदित किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विन्दु:-

57.	श्री वीरेश कुमार वास्तुविद नियोजक को इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के ए-ब्लाक स्थित स्टाफ क्वाटर मध्यम आय वर्ग भवन संख्या ए-905/5 को अनारक्षित करते हुए आवंटन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।

पुष्टि की गई

[illegible]